श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,

जोबनेर, जयपुर (राज.) पिन-303329

Phone : 01425- 254980-- Email: registrar@sknau.ac.in

रोजगार विज्ञप्ति

विज्ञापन सं. श्रीक.न.कृ.वि / अशैक्षणिक / 2023 / 04 / 1703 **दिनांक :** 21-12-2023

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा निम्नलिखित **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / प्रयोगशाला उपस्थक / कुक के** पदों की भर्ती हेतु योग्यताधारी अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट (**www.sknau.ac.in**) पर उपलब्ध है। इन रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है।

आवेदन की अन्तिम तिथिः 24 जनवरी, 2024 शाम 5.00 बजे तक

(1) रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की श्रेणी का विवरण :–

क्र. सं.	पदनाम	कुल पद	सामान्य				पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
				महिला				महिला				महिला				महिला				महिला				महिला		
			सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / प्रयोगशाला उपस्थक / कुक	16	4	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	कुल पद	16	4	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-

* विशेष योग्यजन का 4 % व भूतपूर्व सैनिक का 15% आरक्षण निर्धारित वर्ग में राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।

*** किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा।**

नोट :–

1. उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कि लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थीयों से नही भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा।
2. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे–आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस, आदि) का लाभ लिया जाता है तो उस सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा ।

3. राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा, देश के अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थीयों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने जाने वाले उक्त रिक्त पदों में विशेष योग्यजन (निःशक्तजन), भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रुप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बधिंत प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा।
6. किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्यन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रुप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में नही भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थीयों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थीयों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला के भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामें में उसे विच्छिन्न विवाह माननीय न्यायालय से जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।
7. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान, व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारुप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र को आवेदन–पत्र/ दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा उसे उस वर्ग का लाभ देय नही होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
8. **विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए**

अ. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2020 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल निःशक्तजन श्रेणी मे 4 प्रतिशत उक्त पदों हेतु आरक्षण का लाभ देय है।

ब. विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित भी क्षैतिज (Horizontal) रुप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

स. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे इन पदों का राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2018 के अनुसार भरा जावेगा।

9. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और

रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।

10. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसुचना क्रमांक प.5 (18) कार्मिक/ क–2/ 84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही मिलेगा।
11. राजस्थान राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में प्रभावी होंगे।

(2) आवेदन प्रक्रिया :–

1. आवेदक को वेबसाईट www.sknau.ac.in पर दिये गये **आवेदन पत्र को भरकर इसी वेबसाईट पर ऑनलाइन सबमिट (submit) करना है तथा इसका प्रिन्ट** लेकर निर्धारित शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट सहित सभी दस्तावेज सलंग्न करके दिनांक **24 जनवरी, 2024 को शाम 5** बजे तक विश्वविद्यालय को डाक द्वारा 'कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान 303329' के पत्ते पर भेजना है या स्वयं भी उक्त कार्यालय में आकर जमा करवा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात व्यक्तिगत या डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।
2. **आवेदन शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट** द्वारा ही देना होगा जो कि '**वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर**' के नाम देय होगा तथा इसको आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करके भेजना होगा। शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
3. आवेदक को साक्षात्कार या अन्य किसी भी सूचना के लिए वेबसाईट www.sknau.ac.in के माध्यम से ही सूचित किया जावेगा। इस सन्दर्भ में किसी प्रकार सें डाक व अन्य माध्यम से सूचित नही किया जावेगा।
4. यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर इस पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवेदन किसी भी अवस्था पर निरस्त किया जा सकता है एवं ऐसे आवेदकों को ना तो सूचित किया जावेगा और ना ही उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क प्रतिदाय (Refund) किया जायेगा।
5. किसी तरह की पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाईन नम्बर **01425- 254980** पर कार्यालय समयावधि में प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार को सम्पर्क कर सकता है या **registrar@sknau.ac.in** पर ई–मेल कर सकता है।
6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.sknau.ac.in** पर उपलब्ध विज्ञप्ति के वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा से बिना सूचित किये वंचित कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु कोई मौका नही दिया जावेगा एवं पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे निरस्त किये आवेदनो का शुल्क भी नहीं लोटाया जायेगा।

(3) आवेदन शुल्क :

(अ) सामान्य वर्ग व राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग (BC/MBC) के आवेदकों हेतु–	रूपये 600/–
(ब) राजस्थान के **नॉन क्रीमीलेयर** श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (BC/MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों हेतु–	रूपये 400/–
(स) समस्त विशेष योग्यजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु–	रूपये 300/–

नोट :–

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यार्थी ही माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियो के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा।

(4) आयु सीमा :–

उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम दिनांक तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान निम्नांकित हैं:–

क्र.सं	अभ्यार्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी	5 वर्ष
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष
3.	सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी	5 वर्ष
4.	विधवा एवं विवाह विछिन्न महिला अभ्यर्थी	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए	10 वर्ष

नोटः–

1. उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. विधवा एवं विवाह विछिन्न महिला अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं हैं लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृति आयु से अधिक न हो।

(5) वेतनमान :

राज्य सरकार के नियमानुसार चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में नियुक्त किया जावेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उक्त परिवीक्षा काल अवधि में अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर सातवें वेतनमान के अनुसार निम्न वेतन निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड़ कर नहीं जाने का नियमानुसार सर्विस ज्वाइन के समय बॉन्ड भरकर देना होगा।

क्र. स	पद का नाम	वेतन लेवल	राजस्थान सरकार के सातवें वेतनमान अनुसार देय पे मैट्रिक्स	परिवीक्षाकाल में प्रति माह देय नियत पारिश्रमिक (रु.)
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ प्रयोगशाला उपस्थक/कुक	L-1	17700–.56200	12400/–

(6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला उपस्थक/कुक के पदों की आवश्यक अनिवार्य योग्यता निम्नानुसार हैः–

क्र. स	पद का नाम	**अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ प्रयोगशाला उपस्थक/ कुक	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने व उसको समझने का ज्ञान।

नोटः साक्षात्कार या परीक्षा तिथि की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(7) चयन प्रकिया :–

विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.sknau.ac.in** पर पर प्रदर्शित की जायेगी।

(8) आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन की स्थिति में प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित श्रेणी अनुसार देय होगा।
2. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें। यदि आवेदक द्वारा अपनी योग्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी मे आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जायेगी। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विश्वविद्यालय अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।
3. विज्ञप्ति के सबंधं में किसी प्रकार के संसोधन तथा भर्ती सबंधी अन्य सूचना/विवरण को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी नियमित रुप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता व श्रेणी) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन/नियुक्ति अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. साक्षात्कार एवं दस्तावेज जांच के लिये बुलाने का अभिप्राय यह नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी सही मान ली गयी है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियां सही मान ली गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदकों के पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। पात्रता की

जांच हेतु उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संलग्न समस्त दस्तावेजो की मूल प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबधित वांछित सूचना भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल/प्रक्रियाधीन के दौरान प्रदान नहीं की जावेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वांछित सुचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।

7. उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिये उम्मीदवार अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। इस हेतु नियमानुसार आरोग्य प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

8. विश्वविद्यालय सेवा में आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पदों में से किसी नियुक्ति के लिये योग्य हो सके, इसके लिए उसे किन्हीं दो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित सद्चरित्र प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. इस विज्ञप्ति के माध्यम से नियुक्त किसी कार्मिक को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में किसी भी केन्द्र/इकाई/कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा।

10. आवेदक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार या सर्विस ज्वाइन के लिये बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा पद की संख्या के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है और विश्वविद्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार या जोब टेस्ट लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वे ऐसे आवेदन पत्रों की छंटनी (Screening) उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर की जा सकती है।

11. उक्त पदों पर भर्ती के लिए छंटनी हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।

12. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों मे विधिक तौर पर अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के पश्चात् की जायेगी।

13. भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना/स्कीम के पद, योजना/स्कीम के समाप्त होने के साथ समाप्त किया जा सकता है।

14. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई भूल अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर यहां तक कि नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात भी अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधन, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।

15. साक्षात्कार/ दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं करने व परिणाम रोकने के कारणो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रुप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट का निरीक्षण करते रहें।

16. किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार/ दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

17. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति/चयन हेतु किसी प्रकार की सिफारिश/ दबाव की स्थिति में अभ्यर्थी को निरर्हित (Disqualify) कर दिया जायेगा।

18.ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नही समझा जायेगा जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चो की संख्या में बढोतरी नहीं होती। परन्तु यह कि जहां किसी आवेदक की पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल सख्या गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चो को एक ईकाई समझा जावेगा। हालांकि इस हेतु राजस्थान सरकार के संशोधित नियम लागू होंगे तथा आवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होंगा।

19.यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड/आयोग से अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के कारण भविष्य की परीक्षाओं के लिये/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debarred) किया गया हो तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी और अगर सम्मिलित हो भी गया तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति नही दी जावेगी।

20.केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग /आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग/विशेष योग्यजन अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति/निःशक्तता प्रमाण प्रत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर एवं दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करानी होगी। पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को वित्तिय वर्ष 2022–23 की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21.नये भर्ती /नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये राजस्थान सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरुप पेन्शन योजना (Pension Scheme) विश्वविद्यालय में लागू रहेगी।

22.विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के समय समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान नियुक्तियों पर लागू होंगे।

23.यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व में न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में आयु सीमा में शिथिलता का लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आवेदक अलग से आवेदन के सात दिवस के भीतर निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करना होगां

24.रोस्टर का ध्यान रखते हुए पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

25.सेवारत अभ्यर्थी 'NOC' उचित माध्यम द्वारा जारी की हुई हो, साक्षात्कार या दस्तावेज वेरीफिकेशन के समय लाना आवश्यक होगा।

26.विज्ञापन से संबन्धित कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.sknau.ac.in) पर ही अपलोड किया जायेगा।

27.किसी तरह की पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाईन नम्बर **01425- 254980** पर कार्यालय समयावधि में प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार (कार्य दिवस) को सम्पर्क या **registrar@sknau.ac.in** पर ई–मेल कर सकता है।

28. इस भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन से संबंधित समस्त न्यायिक मामलों का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर होगा।

कुलसचिव